जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 01.07.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 562/25 धारा 376(3)/363/504/506 भादवि, धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम व धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.06.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 29.04.2024 को अभियुक्तगण मौ0 गुफरान पुत्र कासिम निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व उसके बहनौई दानिश पुत्र भूरा निवासी मौ0 आसियाना कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम कर वीडियो बना ली, जब वादिया के द्वारा इसका विरोध किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए उक्त वीडियो को वायरल करने व उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादिया को डरा-धमकाकर उसकी नाबालिग पुत्री से विवाह कर लिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 562/25 धारा 376(3)/363/504/506 भादवि, धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम व धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 01.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 गुफरान पुत्र कासिम निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 गुफरान पुत्र कासिम निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. का0 2554 यतेन्द्र थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 01.07.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त (स्वर्णकार) को चोरी / लूट / छिनैती करने वाले अभियुक्तों से खरीदे गए आभूषण सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2025 को वादी नवीब हुसैनपुर पुत्र अहबाव हुसैन निवासी ग्राम सरकडाखेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.06.2025 की रात्रि में वादी अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था कि समय करीब 01.00 बजे अज्ञात व्यक्ति वादी के घर आकर सो रही वादी की पत्नी फिरोजा के कान के कुंडल खींच कर भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 156/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 01.07.2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1.शाकिब पुत्र मेहंदी हसन निवासी सपेटी बस्ती गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.शिव कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.सुमारा पुत्र तिलकराम उर्फ तिलका निवासी ग्राम फैजीपुर सलेमपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 4.सूरज पुत्र अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्तों ने छीने गये कुन्डल व अन्य आभूषणो को ज्वैलर्स दीपक गोयल पुत्र विश्वनाथ गोयल निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को बेच देने की स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक गोयल को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 जोडी कुँडल, 01 बाली व 01 जोडी लटकन (पीली धातु) बरामद किये गये। अन्य वाँछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त सूरज उपरोक्त की माँ परमेश्वरी उर्फ निम्मा दिन में आस पास के क्षेत्र में घूमने फिरने के बहाने रेकी कर जानकारी जुटाती थी कि किस घर की महिला ने कौन कौन से आभूषण पहने है तथा इसकी जानकारी शाकिब, शिवकुमार, सुमारा व सूरज को देती थी तथा उपरोक्त चारो अभियुक्तगण चोरी / लूट / छिनैती कर प्राप्त आभूषणो को थाना किरतपुर के कस्बा किरतपुर में स्थित दीपक ज्वैलर्स नाम की दुकान पर दीपक गोयल को बेच देते थे। ज्वैलर्स दीपक गोयल ने बताया कि इन लोगों द्वारा पिछले एक माह के दौरान उसे विभिन्न जगह से चोरी किये गये पीली धातु के आभूषण बेचे थे। ये लोग उसे कम दाम मे सोना बेचते थे जिसेसे वह अन्य आभूषण बनाकर मंहगे दामो मे बेच देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक गोयल पुत्र विश्वनाथ गोयल निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त दीपक गोयल का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 156/2025 धारा 317(2)/61(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

01 जोडी कुँडल यू नूमा (पीली धातु) सम्बन्धित मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर
01 बाली (पीली धातु) सम्बन्धित मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना नगीना देहात बिजनौर
01 जोडी लटकन (पीली धातु) सम्बन्धित मु0अ0सं0 156/25 धारा 304 बीएनएस थाना नगीना देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री वीरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.गौरव मलिक उ0नि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.मुख्य आरक्षी मौ0 मोमिन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.आरक्षी राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5.आरक्षी मोनू कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 01.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 29वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 15.06.2023 को थाना शेरकोट पर अभियुक्त आशू कुमार पुत्र मनोज राठी निवासी ग्राम रायपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सहित 03 अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 134/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 01.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे नं0- 06, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 134/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी आशू कुमार पुत्र मनोज राठी निवासी ग्राम रायपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त आशू कुमार उपरोक्त थाना स्योहारा का हिस्टीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 149ए) अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी/आबकारी अधि0/गैंगस्टर एक्ट आदि धाराओ मे आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त आशू कुमार पुत्र मनोज राठी निवासी ग्राम रायपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर। (हिस्ट्रीशीट सं0 149ए)

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 01.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 01.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त वीशु पुत्र अरविन्द निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम वीशु उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वीशु पुत्र अरविन्द निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मदनपाल राणा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2295 आकाश कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 01.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 28वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 19.05.2020 को थाना बढापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फुरकान पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को प्रतिबन्धित कुल 413 नशीली गोलियों (एल्प्राजोलम) सहित गिरफ्तार किये जाने के संबंध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 108/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 01.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे नं0- 04, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 108/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी फुरकान पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फुरकान उपरोक्त थाना बढापुर का हिस्टीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 2ए) अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना बढापुर पर चोरी/डकैती/गौवध/गुण्डा/गैंगस्टर एक्ट आदि गंभीर धाराओ मे करीब 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त फुरकान पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर। (हिस्ट्रीशीट सं0 2ए)

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना बढापुर **दिनाँक- 01.07.2025**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 48/25 धारा-305/331(4) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तो को चोरी की गई नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक-04/04/2025 को वादी श्री अनुभव अग्रवाल पुत्र साहू संतोष कुमार अग्रवाल निवासी मौ0 लाल सराय स्टेशन रोड़ नगीना थाना नगीना (प्रबंध निदेशक SSK इंटरनेशनल एकेडमी ग्राम फूलनगर थाना बढापुर) जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा SSK इंटरनेशनल एकेडमी के अकाउन्ट कक्ष की दराज से लगभग सवा लाख रूपये की चोरी कर ली गई तथा उक्त चोरी की घटना सीसीटीवी मे कैद हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 48/25 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र कासम अली व 2.रिजवान उर्फ रिज्जू पुत्र नसीब शाह उर्फ पिद्दा निवासीगण ग्राम इस्लामगढ उर्फ उमरपुर बरखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 01.07.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र कासम अली व 2.रिजवान उर्फ रिज्जू पुत्र नसीब शाह उर्फ पिद्दा निवासीगण ग्राम इस्लामगढ उर्फ उमरपुर बरखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 14075/- रूपये की नगदी तथा चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक पेंचकस व एक लकडी का डन्डा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

पूछताछ विवरण -

अभियुक्तो से की गई पूछताछ मे यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उनके द्वारा ग्राम फूलनगर में स्थित स्कूल से कुल 75000/- रूपये की चोरी की गई थी जिसे उनके द्वारा आपस में बराबर – बराबर बांट लिया गया था। उनसे बरामद हुई नगदी उसी चोरी किये गए रूपयों मे से शेष बचे हुए है बाकि के रूपये उन दोनो के द्वारा खर्च कर दिये गए है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शाहनवाज पुत्र कासम अली निवासी ग्राम इस्लामगढ उर्फ उमरपुर बरखेडा थाना बढापुर बिजनौर।

2.रिजवान उर्फ रिज्जू पुत्र नसीब शाहँ उर्फ पिद्दा निवासी ग्राम इस्लामगढ उर्फ उमरपुर बरखेडा थाना बढापुर बिजनौर

बरामदगी विवरण -

1.चोरी के कुल 14,075/- रूपये की नगदी (अभियुक्त शाहनवाज से 7320/- व अभियुक्त रिजवान से 6755/- रूपये)

2.घटना मे प्रयुक्त एक पेचकस व एक लकडी का डंडा।

3.एक मोबाईल फोन (एंड्रोएड विवो) रंग काला (अभियुक्त शाहनवाज से बरामद)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 48/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री ललित मोहन शर्मा, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री विष्णु शर्मा, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3.है0का0 634 राजेश कुमार ,थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

4.है0का0 159 उमेश, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 523 अमित कुमार, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 01.07.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह जून – 2025 में मा0 न्यायालय द्वारा 20 अभियोगों में 25 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरुप **माह जून – 2025** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 20 अभियोगों में 25 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –

क्र0 स0	थाना	मु0अ0स0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध शीर्षक	सजा	अभि0 सख्या
1	कोतवाली शहर	218/2012	25 आर्म्स एक्ट	02.06.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
2	हल्दौर	136/2018	272/420 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम	02.06.2025	अन्य	प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास की सजा व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	2
3	कोतवाली शहर	245/2003	25 आर्म्स एक्ट	02.06.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
4	नजीबाबाद	518/2022	452/(376/511तब्दील धारा 354 में)/504/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट	03.06.2025	पोक्सो एक्ट	03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 17000/- रु0 अर्थदण्ड	1

5	चांदपुर	818/2021	5/25 आर्म्स एक्ट	04.06.2025	अन्य	07 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 10000/- रु0 अर्थदण्ड	1
6	कोतवाली शहर	304/2024	2(बी)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट	05.06.2025	जघन्य	अभि0 को 02 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	1
7	अफजलगढ	108/2024	8/22 एनडीपीएस एक्ट	06.06.2025	जघन्य	अभियुक्त को 14 माह के कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1
8	कोतवाली शहर	966/2007	4/25 आर्म्स एक्ट	12.06.2025	अन्य	अभियुक्त को जेल में बितायी अवधि की सजा व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया	1
9	कोतवाली शहर	283/2022	4/25 आर्म्स एक्ट	21.06.2025	अन्य	02 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
10	कोतवाली शहर	248/2022	379/411 भादवि	21.06.2025	जघन्य	02 वर्ष 05 माह 10 दिन साधारण कारावास की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
11	स्योहारा	464/2024	331(1), 305ए, 317(2) बीएनएस	23.06.2025	जघन्य	09 माह 10 दिन साधारण कारावास की सजा व 3000/- रु0 अर्थदण्ड	1
12	स्योहारा	304/2024	380/411 भादवि	23.06.2025	जघन्य	08 माह 10 दिन साधारण कारावास की सजा व 4000/- रु0 अर्थदण्ड	1

13	शेरकोट	1125/2009	25 आर्म्स एक्ट	23.06.2025	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
14	रेहड	75/2024	457/380/411/413/414 भादवि	24.06.2025	जघन्य	अभि0गणों को 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 8000/- रु0 अर्थदण्ड	2
15	रेहड	76/2024	4/25 आर्म्स एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट	24.06.2025	अन्य	अभि0गणों को 06 माह कारावास की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	2
16	धामपुर	14/1994	498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट	24.06.2025	जघन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 15500/- रु0 अर्थदण्ड	1
17	कोतवाली शहर	1595/2002	39/49 बी भारतीय विद्युत अधिनियम	24.06.2025	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
18	नजीबाबाद	423/1992	452/323/34/427/504/506 भादवि	26.06.2025	अन्य	अभि0 को 03 वर्ष का कारावास की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया	2
19	नूरपुर	274/2014	272/273 भादवि व 60(1) आबकारी अधि0	26.06.2025	अन्य	अभि0गणों को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा व 3000-3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया	2
20	शिवाला कलाँ	225/2019	323/363/366/376/504/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट	30.06.2025	पोक्सो	अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 75000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	1

उत्तर प्रदेश पुलिस

BIJNOR POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर

जून - 2025

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा माह जून - 2025 में 12 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 10,37,963/- रुपये वापस कराये गये

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0स0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि	माध्यम
1	धामपुर	NCRP- 13744	50,000/-	यूपीआई
2	किरतपुर	NCRP- 51005	22,250/-	यूपीआई
3	शिवाला कलॉ	NCRP- 45705	40,000/-	यूपीआई
4	कोतवाली शहर	NCRP- 71222	50,000/-	यूपीआई
5	नजीबाबाद	NCRP- 48409	3,50,000/-	यूपीआई
6	मण्डावर	NCRP- 42710	15,000/-	यूपीआई
7	कोतवाली शहर	NCRP- 06492	22,109/-	यूपीआई
8	धामपुर	NCRP- 95201	41,344/-	यूपीआई
9	कोतवाली शहर	NCRP- 85864	15,000/-	यूपीआई
10	नहटौर	NCRP- 24975	25,600/-	यूपीआई
11	नूरपुर	NCRP- 40246	2,80,900/-	यूपीआई
12	कोतवाली शहर	NCRP- 39225	1,25,760/-	यूपीआई
		कुल योग	**10,37,963/-**	

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 01.07.2025**

थाना नांगल पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में 04 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र, नगदी, चोरी की मोटरसाइकिल व सफेद/पीली धातू के आभूषण सहित गिरफ्तार कर थाना नांगल, थाना किरतपुर, थाना कोतवाली देहात तथा नगीना देहात की कुल 08 घटनाओ का अनावरण किया।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा विगत दिनों में थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट, छिनैती व नकबजनी की घटनाओं के अनावरण के क्रम में पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सबलपुर बीतरा के जंगल में बाखरपुर पुलिया से मालन नदी की तरफ ट्यूबवैल के पास कुछ बदमाश किसी घटना कारित करने की फिराक में इकट्ठा हुये है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हे पकडने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो अभियुक्तो के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा दो अन्य अभियुक्तो को मौके से गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्तो ने अपना नाम 1- शाकिब पुत्र मेंहदी निवासी ग्राम सपेरी बस्ती गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2- शिवकुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया तथा पकडे गये अन्य अभियुक्तो ने अपना नाम 3- सुमेरा पुत्र तिलकराम उर्फ तिलका निवासी फैजीपुर सलेमपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 4- सूरज पुत्र अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 04 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर, पीली / सफेद धातु के आभूषण, 3050 रुपये नगदी व एक चोरी की मोटरसाईकिल यूपी 20 बीए 2153 को बरामद किया। स्थानीय पुलिस द्वारा घायल अभियुक्तो को उपचार हेतु जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 109 (1)/61(2)/312/313/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तो से की गयी पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश मे आये कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज की मां परमेश्वरी उर्फ निम्मा पत्नी अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर दिन के समय क्षेत्र में घूम-घूमकर रेकी कर जानकारी जुटाती थी कि किस घर की महिला ने कौन-कौन से आभूषण पहने है तथा इसकी जानकारी शाकिब, शिवकुमार, सुमेरा व सूरज को देती थी तथा उपरोक्त चारो अभियुक्तगण चोरी/लूट/छीनेती कर

प्राप्त आभूषण थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत मैन सर्राफा मार्किट में दीपक ज्वैलर्स (दीपक गोयल पुत्र विश्वनाथ) को बेच देते थे । साथ ही उपरोक्त चारो अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 29.06.2025 की रात्रि में थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महमसापुर में 02 महिला से कानों के कुंडल की लूट/छीनेती की गयी थी तथा ग्राम महमसापुर में एक घर से मोटरसाईकिल, आभूषण व नगदी चोरी की गयी थी। **(उपरोक्त माल दिनांक 29.06.2025 को थाना नांगल से संबंधित तीन घटनाओ की शत प्रतिशत बरामदगी है ।)** इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभियुक्तगणो द्वारा 02 माह पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालपुर व नन्दपुर व 01 माह पूर्व थाना नगीना देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हेजरपुर एवं 15 दिन पूर्व थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरकडा खेडी में भी महिलाओं से कुण्डल छीनने की घटना कारित की गयी थी तथा उपरोक्त घटना में छीने गये कुण्डलो को अभियुक्तगण द्वारा किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत मैन सर्राफा मार्किट में दीपक ज्वैलर्स (दीपक गोयल पुत्र विश्वनाथ) को बेचना बताया गया है, जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त घटनाओं के संबंध में पूर्व से ही थाना नांगल पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत है। थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

साथ ही अभियुक्त शिवकुमार व सूरज ने बताया कि वर्ष 2024 के अगस्त माह में उन्होंने अपने एक अन्य साथी सिकन्दर पुत्र रामेश (निवासी ग्राम फैजीपुर सलेमपुर, थाना हीमपुर दीपा) के साथ मिलकर ग्राम महमसापुर के जंगल में स्थित एक मंदिर में चोरी के उद्देश्य से प्रवेश किया था। वहां मौजूद बाबा के जाग जाने पर तीनों ने जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी तथा उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और बैग को जंगल में फेंककर बिना कोई चोरी किए मौके से भाग गये थे। **(इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 135/24 धारा 109/324(4) बीएनएस पंजीकृत है)** उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र रामेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- शाकिब पुत्र मेंहदी निवासी ग्राम सपेरी बस्ती गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2- शिवकुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3- सुमेरा पुत्र तिलकराम उर्फ तिलका निवासी फैजीपुर सलेमपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

4- सूरज पुत्र अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण –

1- सिकन्दर पुत्र रामेश निवासी ग्राम फैजीपुर सलेमपुर, थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2- दीपक गोयल पुत्र विश्वनाथ निवासी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3- परमेश्वरी उर्फ निम्मा पत्नी अशोक उर्फ अमरनाथ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1- 3050 रूपये नकद

2- पीली धातु के आभूषण – 02 कुण्डल व सफेद धातु के आभूषण – 04 अंगूठी, 02 कंडुले, 01 मंगलसूत्र, 01 जोडी बिछवा जिसमे लाल रंग का नग लगा है, 01 बच्चे की कन्डी, 01 राखी व ब्लैड का पैकेट।

3- 01 चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर रजि नं0 यूपी 20 बीए 2153।

4- 02 तमंचे 315 बोर व 04 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर।

अनावरण अभियोगो का विवरण –

1- मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 135/24 धारा 109/324(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाकिब उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0सं0 99/25 धारा 109 (1)/61(2)/312/313/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 135/24 धारा 109/324(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

9- मु0अ0सं0 99/25 धारा 109 (1)/61(2)/312/313/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुमेरा उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

8- मु0अ0सं0 99/25 धारा 109 (1)/61(2)/312/313/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सूरज उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 135/24 धारा 109/324(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2- मु0अ0सं0 95/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3- मु0अ0सं0 96/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4- मु0अ0सं0 97/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।
5- मु0अ0सं0 72/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
6- मु0अ0सं0 73/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
7- मु0अ0सं0 139/25 धारा 304 बीएनएस थाना थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
8- मु0अ0सं0 156/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
9- मु0अ0सं0 99/25 धारा 109 (1)/61(2)/312/313/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1) प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2) निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
3) उ0नि0 श्री योगेश कुमार, प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
4) उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
5) उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
6) उ0नि0 श्री गौरव सिरोही थाना नांगल जनपद बिजनौर।
7) उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
8) उ0नि0 श्री मीर हसन स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
9) हे0का0 762 प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर।
10) हे0का0 746 संजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
11) का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर।
12) का0 862 सुजीत तोमर थाना नांगल जनपद बिजनौर।
13) का0 91 प्रवीण देशवाल थाना नांगल जनपद बिजनौर।
14) का0 1878 अंकित सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर।
15) का0 2570 रितेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
16) का0 मोनू सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
17) का0 अचिन स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
18) का0 दिलशाद स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
19) का0 दीपक जावला स्वाट टीम जनपद बिजनौर।